

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंज 120/17 तारीख 27 जू 18-5-17

उजवान - अन्तराम बनाम रामगोपाल के. मीना
महस्वा

दाया बाबत तफास्मा व स्थायी निधि धारता


वादी की ओर से श्री महेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दाया बाबत तफास्मा एवं स्थायी निधि धारता अन्तर्गत चारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया प्रस्तुत जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। दाया दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पक्षों को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 26-9-17 को पेश हो।

5 122-53
19-9-17


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

26-9-17

वादी वकील उफो / प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का बजूद खतना उपो नही / शीक के सम्मन अदम तामील जाह डुर अडन: सम्मन तलवाना पेश कर / कास्ते तलवी नडि 30-10-17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

30 10-17

वादी वकील उफो / सम्मन तलवाना अदम तामील जाह डुर अडन: वादी वकील रजि. ति. सम्मन तलवाना सुधी व पूर्ण पते पर पेश कर / कास्ते तलवी नडि 30-11-17 को पेश हो।

11-11 वादी वकील उफो / प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का वकासनामा व द. 08 R. 7 C.P.C. श्री सुरेश चन्द शर्मा A.W. ने पेश की। द. 0 की मजल दिवासी वास्ते जक्क द. 0 व तलवी नडि 28-12-17 को पेश हो।

